न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 326/2010 दायर दिनाँक 29.11.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. पप्पु यादव पुत्र श्रीकिशन यादव, 2. गोपाल यादव पुत्र श्रीकिशन यादव, समस्त,जाति—जहिर, निवासी—अहिरों का बास, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. श्रीकिशन यादव पुत्र रामूराम, 2. लालाराम पुत्र रामूराम, 3. बीरबल पुत्र लच्छाराम, 4. बाबुलाल पुत्र लच्छाराम, 5. लिछमादेवी पत्नी लच्छाराम, 6. ईशरराम पुत्र जीवणराम, 7. बद्रीराम पुत्र जीवणराम, 8. छोटूराम पुत्र जीवणराम, समस्त,जाति—अहिर, निवासी—अहिरों का बास, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 9. सुभाष पुत्र भगवानाराम, जाति—अहिर, निवासी—उदयपुरा, तहसील—श्रीमाधोपुर, जिला—सीकर, राजस्थान, 10. तहसीलदार व उप पंजियक डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः—

1. पक्षकारान्।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 15.06.2018

शरहद मौजा अहीरों का बास तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 342 रकबा 29.04 बीघा व खसरा नम्बर 346 रकबा 61.02 बीघा भूमि, के घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत्

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 326/2010
दायर दिनाँक 29.11.2017, निर्णय दिनाँक 15.06.2018
पप्पु यादव बनाम् श्रीकिशन यादव, वगैरा।

वादी का वाद दिनाँक 01.06.2018 को प्राथमिक डिक्री सादिर कर विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने पत्रांक एसपीएल–2 दिनाँक 12.06.2018 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन दिनाँक 12.06.2018 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा अहीरों का बास तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 342 रकबा 29.04 बीघा व खसरा नम्बर 346 रकबा 61.02 बीघा भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 12.06.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 12.06.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **15.06.2018** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 326/2010 दायर दिनाँक **29.11.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. पप्पु यादव पुत्र श्रीकिशन यादव, 2. गोपाल यादव पुत्र श्रीकिशन यादव, समस्त,जाति–जहिर, निवासी–अहिरों का बास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. श्रीकिशन यादव पुत्र रामूराम, 2. लालाराम पुत्र रामूराम, 3. बीरबल पुत्र लच्छाराम, 4. बाबुलाल पुत्र लच्छाराम, 5. लिछमादेवी पत्नी लच्छाराम, 6. ईशरराम पुत्र जीवणराम, 7. बद्रीराम पुत्र जीवणराम, 8. छोटूराम पुत्र जीवणराम, समस्त,जाति–अहिर, निवासी–अहिरों का बास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. सुभाष पुत्र भगवानाराम, जाति–अहिर, निवासी–उदयपुरा, तहसील–श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर, राजस्थान, 10. तहसीलदार व उप पंजियक डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक **15.06.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **उपस्थित पक्षकारान्** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा अहीरों का बास तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 342 रकबा 29.04 बीघा व खसरा नम्बर 346 रकबा 61.02 बीघा भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 12.06.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 12.06.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत... ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.........

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **15.06.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह	—		महनताना वकील		
सबूत	—		खर्चा गवाहान		
महनताना			फिस कमिश्नर		
वकील			वाबत इजराय		
खर्चा गवाहान			हुक्मनामा		
फिस कमिश्नर			मुतफर्रिक		
बावत इजराय					
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–326–2017 / रीडर / 2018 / 				दिनाँक

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –अन्तिम निर्णय की पालना करने बावत्।

दावा बाबत्
बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. पप्पु यादव पुत्र श्रीकिशन यादव, 2. गोपाल यादव पुत्र श्रीकिशन यादव, समस्त,जाति–जहिर, निवासी–अहिरों का बास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. श्रीकिशन यादव पुत्र रामूराम, 2. लालाराम पुत्र रामूराम, 3. बीरवल पुत्र लच्छाराम, 4. बाबुलाल पुत्र लच्छाराम, 5. लिछमादेवी पत्नी लच्छाराम, 6. ईशरराम पुत्र जीवणराम, 7. बद्रीराम पुत्र जीवणराम, 8. छोटूराम पुत्र जीवणराम, समस्त,जाति–अहिर, निवासी–अहिरों का बास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. सुभाष पुत्र भगवानाराम, जाति–अहिर, निवासी–उदयपुरा, तहसील–श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर, राजस्थान, 10. तहसीलदार व उप पंजियक डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित अन्तिम निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

<u>न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना</u>

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **326 / 2017** दायर दिनाँक **29.11.2017**

वादीगण		**प्रतिवादीगण**
1. पप्पु यादव पुत्र श्रीकिशन यादव, 2. गोपाल यादव पुत्र श्रीकिशन यादव, समस्त,जाति–अहिर, निवासी–अहिरों का बास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,	बनाम्	1. श्रीकिशन यादव पुत्र रामूराम, 2. लालाराम पुत्र रामूराम, 3. बीरबल पुत्र लच्छाराम, 4. बाबुलाल पुत्र लच्छाराम, 5. लिछमादेवी पत्नी लच्छाराम, 6. ईशरराम पुत्र जीवणराम, 7. बद्रीराम पुत्र जीवणराम, 8. छोटूराम पुत्र जीवणराम, समस्त,जाति–अहिर, निवासी–अहिरों का बास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. सुभाष पुत्र भगवानाराम, जाति–अहिर ~~[illegible]~~, निवासी–उदयपुरा, तहसील–श्रीमाधोपुर, जिला–~~नागौर~~ सीकर, राजस्थान, 10. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 उपस्थित।

–:: **<u>प्राथमिक निर्णय</u>** ::–

दिनाँक **01.06.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादीगण व प्रतिवादी श्रीकिशन पुत्रगण व पिता हैं तथा वादीगण के पिता श्रीकिशन व प्रतिवादी लालाराम सगे भाई हैं जिनमे पिता का नाम रामूराम है।

शरहद मौजा अहीरों का बास में खसरा नम्बर 342 रकबा 29.04 बीघा तथा खसरा नम्बर 346 रकबा 61.02 बीघा भूमि अवस्थित है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

प्रार्थना वादीगण है कि,

शरहद अहीरों का बास में खसरा नम्बर 342 रकबा 29.04 बीघा की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के घोषित की जावे।

शरहद अहीरों का बास में खसरा नम्बर 346 रकबा 61.02 में से पूर्वी भाग रकबा 30.02 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण बीरबल, बाबूलाल, लिछमादेवी व सुभाष को व पश्चिमी भाग रकबा 30.02 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण बद्रीराम, ईशरराम व छोटूराम के व शेष रकबा 0.18 बीघा की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के घोषित की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 10 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादीगण ने वाद के समर्थन में शपथ–पत्र, नक्शाट्रेश, जमाबन्दी ग्राम अहीरों का बास सम्वत् 2073–2076 खेवट संख्या 97/85 व 104/92 की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ, पेश की है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प–सुद्रासन में प्रकरण पेश हुआ। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 उपस्थित। पक्षकारान् वाद में प्राथमिक निर्णय किया जाने की मंशा जाहिर कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्य के अनुसार शरहद मौजा अहीरों का बास के वादग्रस्त भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 सहखातेदारान् हैं तथा विधिवत् बन्टवारा करवाने की इस्तदुआ वादी कर रहे हैं। पक्षकारान् सहखातेदार होने के कारण बन्टवारा करवाने के कानूनन् हकदार है।

अतः वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा प्राथमिक डिक्री सादिर कर, शरहद अहीरों का बास में खेत खसरा नम्बर 342 रकबा 29.04 बीघा व खेत खसरा नम्बर 346 रकबा 61.02 बीघा, भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 के

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 326 / 2017
दायर दिनाँक 29.11.2017, प्राथमिक निर्णय दिनाँक 01.06.2018
पपु यादव बनाम् श्रीकिशन यादव, वगैरा।

मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव में, पक्षकारान् को विभाजन से उनके हिस्सों में आने–जाने हेतु रास्ते की सामुहिक भूमि प्रस्तावित करते हुए, विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में तैयार कर, पेश किया जावे।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–सुद्रासन

प्राथमिक निर्णय, आज दिनाँक 01.06.2018 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–सुद्रासन

Scanned by CamScanner